



2026:AHC:18155

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 909 वर्ष 2026

राम कृष्ण मिश्रा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवेश मिश्रा, सौरभ त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी, जिनकी सहायता श्री सौरभ त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता कर रहे थे, राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल और आयोग की ओर से श्री अविजित सक्सेना की बात सुनी गई।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें वर्ष 1997 में लेखपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और वर्ष 2013-14 में सहायक रजिस्ट्रार, कानूनगो के पद पर पदोन्नत किया गया था। वरिष्ठता सूची में उनका क्रमांक 625 है। इसी दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण संख्या 8 वर्ष 2024 दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता जेल में थे और जमानत मिलने के बाद उन्हें पुनः पद पर बहाल कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को पहले ही नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है।
3. वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 28.05.1997 के सरकारी आदेश के आलोक में पदोन्नति के लिए विचार करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

5. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिपक्षी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिपक्षी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

6. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

27 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)